भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2433
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि

†2433. **डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के गोपालगंज जिले में स्थापित केन्द्रीय विद्यालय (केवी) के लिए भूमि उपलब्ध होने के बावजूद कोई भवन नहीं है और केन्द्रीय विद्यालय ने इस मामले को जिला प्रशासन के साथ नहीं उठाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार जिला प्रशासन के परामर्श से उक्त भूमि पर भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बिहार राज्य सरकार ने इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) भूमि पर भवन निर्माण के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों और ज्ञापन के आलोक में बिहार की विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय (केवि), गोपालगंज को वर्ष 2004 में बिहार राज्य सरकार के प्रायोजन के तहत सिविल क्षेत्र में खोला गया था और यह अस्थायी आवास में कार्यात्मक है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा केविसं मानदंडों के अनुसार स्थायी भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। शिक्षा मंत्रालय और केविसं द्वारा विभिन्न स्तरों पर बिहार राज्य सरकार को लगातार अनुनय और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, बिहार राज्य सरकार ने दिनांक 29.07.2025 के आदेश के तहत अब केवि, गोपालगंज के स्थायी स्कूल भवन के निर्माण के लिए केविसं के पक्ष में 4.63 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो उपयुक्त भूमि की पहचान, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण/पट्टे संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने, निर्माण एजेंसी द्वारा नक्शा/प्राक्कलन प्रस्तुत करने, निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करता है।

*****